

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/1050

दिनांक :- 10-12-10

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-11 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.5 (1) चि.स्वा./2/10 पार्ट दिनांक 26.11.10 द्वारा निम्नलिखित कनिष्ठ विशेषज्ञों की 20 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से वेतन श्रृंखला 15600-39100 मे ग्रेड पे-6800/- स्वीकृत करने की अनुमति अनुसार एस्योर्ड केरियर प्रोगेशन स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	नियमित नियुक्ति दिनांक	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	20 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ. अनिल नेहरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर	01-01-51	01-02-81	01-02-01	01-09-06
2	डॉ. अनिल कुमार चौधरी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, बांरा	01-04-57	03-09-86	03-09-06	03-09-06
3	डॉ. रमेश कुमार रोहिला	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री कल्याण चि., सीकर	11-05-50	08-01-81	08-01-01	09-11-06
4	डॉ. डी. आर. जाटोलिया	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, सीकर	05-09-56	03-09-86	03-09-06	03-09-06
5	डॉ. सत्यपाल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, सीकर	05-07-59	24-09-86	24-09-06	24-09-06
6	डॉ. डी. एल. कास्ट	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाडा	05-04-54	30-04-81	30-04-01	04-12-06
7	डॉ. सुरज मल गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कॉवटिया होस्पिटल, जयपुर	30-11-52	01-07-82	01-07-02	01-09-06
8	डॉ. भीम कुमार चौरसिया	कनिष्ठ विशेषज्ञ	संयुक्त निदेशक, जोन, कोटा	07-09-53	01-02-81	01-02-01	01-09-06
9	डॉ. चैन रूप सेठिया	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुजानगढ	03-08-54	25-09-79	25-09-99	01-09-08 (2 AGI)
10	डॉ. सत्येन्द्र प्रकाश कंजोलिया	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रामपुरा, कोटा	21-09-56	15-01-83	15-01-03	01-09-06
11	डॉ. मुरारी लाल वैश्य	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रामपुरा, कोटा	04-06-53	10-03-84	10-03-04	01-09-06
12	डॉ. नन्द लाल वर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर	19-03-55	21-01-87	21-01-07	21-01-07

1	2	3	4	5	6	7	8
13	डॉ. शंकर लाल शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर	05-12-60	03-09-86	03-09-06	03-09-06
14	डॉ. सुरेश चन्द बंसल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रधानाचार्य, स्वा. एवं प.क. प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	06-07-51	12-05-81	12-05-01	01-09-06
15	डॉ. उदय भान मीणा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर	05-07-56	03-09-86	03-09-06	03-09-06
16	डॉ. अजीत कोठारी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा	03-06-51	26-06-82	26-06-02	01-09-06
17	डॉ. अखिल कुमार सक्सैना सेवानिवृत्त 30.11.09	कनिष्ठ विशेषज्ञ	निदेशालय, ई.एस.आई. जयपुर	25-11-47	03-09-79	03-09-97	01-09-06
18	डॉ. अनिल गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	30-09-63	05-05-90	05-05-10	05-05-10
19	डॉ. बाबू लाल शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा	01-09-59	03-09-86	03-09-06	03-09-06
20	डॉ. गिराज किशोर माथुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा	30-05-55	08-01-83	08-01-03	01-09-06
21	डॉ. हरीश चन्द लालवानी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा	20-08-60	28-08-90	08-09-10	08-09-10 (LWP)
22	डॉ. हरीश चन्द लामोरिया	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ	05-07-54	03-09-86	03-09-06	03-09-06
23	डॉ. के. एम. बंसल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	10-02-55	31-12-82	31-12-02	01-09-06
24	डॉ. कुन्तल जैन	कनिष्ठ विशेषज्ञ	अधीक्षक, सेठ रा.वि. भ., आ. सदन बडी, उदयपुर	24-06-53	01-07-82	01-07-02	01-09-06
25	डॉ. लक्ष्मण गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	14-08-54	01-11-81	01-11-01	01-09-06
26	डॉ. मोहन लाल गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	06-08-51	01-06-79	01-06-99	01-09-06
27	डॉ. नेमी चन्द आ. सेवानिवृत्त 31.7.09	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर	04-07-49	25-07-84	25-07-04	01-09-06
28	डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	05-07-57	23-10-86	23-10-06	23-10-06
29	डॉ. ओम प्रकाश उपाध्याय	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा	15-08-60	09-08-90	09-08-10	09-08-10
30	डॉ. प्रेम सिंह माथुर स्वर्गवास 20.02.09	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	11-08-57	29-01-83	29-01-03	01-09-06
31	डॉ. सत्यनारायण शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	29-06-56	29-01-83	29-01-03	01-09-06
32	डॉ. सतीश चन्द अग्रवाल स्वे. सेवानिवृत्त 15.11.08	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	02-07-55	03-09-86	03-09-06	03-09-06
33	डॉ. सुरेश चन्द बंसल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	10-05-54	29-04-81	29-04-01	01-09-06


1,	2	3	4	5	6	7	8
34	डॉ. सुरेश चन्द राघव स्वे. सेवानिवृत्त 5.2.07	कनिष्ठ विशेषज्ञ	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर	23-06-53	10-03-84	10-03-04	01-09-06

उक्त कनिष्ठ विशेषज्ञों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 2 एसीपी की देय तिथि से ठीक 20 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 3 संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।
- 4 उक्त कॉलम में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।
- 5 जिन चिकित्सकों द्वारा पदोन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदोन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।
- 6 संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 20 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कनिष्ठ विशेषज्ञों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के वेतन श्रेणी 15600-39100 में ग्रेड-पे 6600 में वेतन प्राप्त कर रहें हैं।


निदेशक (जन स्वा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/1050

दिनांक :- 10-12-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।

1.	2	3	4	5	6	7	8
----	---	---	---	---	---	---	---

- 2 निदेशक, ई.एस.आई./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
- 4 सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 5 सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 6 प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं प. क. प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर।
- 7 समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 8 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि विभाग की वेबसाइट पर तुरन्त डाउनलोड करवाने की व्यवस्था करें।
- 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।